

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 677/2024
अनवान : –

1. लीलाधर पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 16/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 123/123 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में 9488/56925 हिस्सा भूमि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम रामेश्वर उर्फ लीलाधर पुत्र सरदाराराम दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम लीलाधर पुत्र सरदाराराम है एवं रोही मौजा 21 जेएसएन के खाता स0 90 मे भी वादी का नाम लिलाधर पुत्र सरदाराराम दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम रामेश्वर उर्फ लीलाधर पुत्र सरदाराराम दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही दर्ज नहीं होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम लीलाधर पुत्र सरदाराराम है एवं रोही मौजा 21 जेएसएन के खाता स0 90 मे भी वादी का नाम लिलाधर पुत्र सरदाराराम दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर




Rahul

के खाता स0 123/123 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में 9488/56925 हिस्सा भूमि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम रामेश्वर उर्फ लीलाधर दर्ज है एवं वादी अपना नाम लीलाधर दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जनआधार कार्ड एवं रोही मौजा 21 जेएसएन के खाता स0 90 में वादी का नाम लीलाधर पुत्र सरदाराराम अंकित है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 123/123 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में 9488/56925 हिस्सा भूमि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम रामेश्वर उर्फ लीलाधर पुत्र सरदाराराम के स्थान पर लीलाधर पुत्र सरदाराराम के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक16/03/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ़तर हों ।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 677/2024

अनवान : –

1. लीलाधर पुत्र सरदाराराम जाति जाट साकिन जसाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 677 सन 2024 निर्णय दिनांक 16/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 123/123 की कुल 11.3850 हैक्ट भूमि में 9488/56925 हिस्सा भूमि भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादी का नाम रामेश्वर उर्फ लीलाधर पुत्र सरदाराराम के स्थान पर लीलाधर पुत्र सरदाराराम के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक...16/03/26...को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर